भारत के उच्चतम न्यायालय में अपराधिक मूल / अपीलीय अधिकारिता

पुर्नविलोकन याचिका (आप.) कमांक - 591/2014

में

अपराधिक अपील कमांक - 338/2007

साथ में

रिट याचिका (आप.) कमांक - 197/2014

जगदीश याचिकाकर्ता (गण) विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....प्रत्यर्थी (गण)

<u>निर्णय</u>

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता,

- 1. याचिकाकर्ता जगदीश पर उसकी पत्नी और पांच बच्चे की हत्या का विचारण किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.04.2006 द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड दिया गया। उसने एक अपील पेश की जिसे उच्च न्यायालय ने 27.06.2006 को खारिज किया और मृत्यदंड की पुष्टि की। इसके बाद, उसने इस न्यायालय में आपराधिक अपील पेश की और निर्णय दिनांक 18.09.2009 के द्वारा पुनः मृत्युदंड की पुष्टि की।
- 2. याचिकाकर्ता ने जेल प्रशासन के समक्ष दया याचिका 13.10.2009 को पेश की जिसे भारत के राष्ट्रपति ने 16.07.2014 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने दया याचिका के खारिजी के विरूद्ध रिट याचिका (आप.) क्रमांक 197/2014 पेश की और मुख्य आधार लिया गया की दया याचिका निर्णित करने में लगभग पाँच वर्षों की देरी हुई और यह खुद मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का आधार है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पुनिवलोकन याचिका क्रमांक 591/2014 भी पेश की जिसमें इस न्यायालय के निर्णय दिनांक

18.09.2009 के पुर्नविलोकन को गुण—दोष और अपराधिक अपील क्रमांक <u>338 / 2007</u> में सजा के प्रश्न दोनो पर चाहा है। इसलिये यह मामला इस पीठ के समझ पेश है।

- 3. शुरूआत में हम कहते है कि हम इस पुर्नविलोकन याचिका को मामले के गुणदोष पर सुनने के इच्छुक नहीं है। तीन न्यायालय द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वह याचिकाकर्ता ही था जिसने अपनी पत्नी एवं पाँच बच्चों की हत्या की। हमने याचिकाकर्ता की ओर से विद्ववान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया और हमें पहले लिये गये विचार से भिन्न विचार लेने का कोई कारण नहीं मिला।
- 4. हम केवल इस मुद्दे से निपट रहे हैं कि क्या मृत्युदंड को बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं? रिट याचिका में यह विनती की गई है कि दया याचिका को निर्णित करने में देरी और कानूनी कार्यवाही में देरी ही मृत्युदंड को वापस लेने के लिए काफी है। पुनर्विलोकन याचिका में कुछ अन्य तर्क लिये गए हैं। यह विनती की गई है कि यह मामला विरलतम में विरले की श्रेणी में नहीं आता है; यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है; याचिकाकर्ता जगदीश मानसिक बीमारी से पीड़ित था; याचिकाकर्ता को लगभग 14 वर्षो तक केद में रखा गया है और इस स्तर पर मृत्युदंड का निष्पादन वस्तुतः दो सजाएँ थोपना होगा आजीवन कारावास की सजा और फिर मृत्युदंड

5. दया याचिका से निपटने में देरी :

इस न्यायालय ने वी. श्रीहरण उर्फ मुर्गन विरुद्ध भारत संघ और अन्य¹ में अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय ने मृत्यु दण्ड को अजीवन कारावास में कम करने के लिए मृत्यु दण्ड के निस्पादन में अनुचित, अयोग्य और अतार्किक विलंब को एक मान्य परिस्थिति के रूप में मान्यता दी है। न्यायालय ने हांलािक यह अभिनिर्धारित किया है कि क्या विलंब अतार्किक है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों से सराहना चािहए। श्रीहरण के मामले में दया याचिका के निराकरण में पाँच साल और एक महीने का विलंब था और इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि :—

"17. दया याचिका के निराकरण में अत्याधिक विलंब, मृत्यु दण्ड के निष्पादन की प्रक्रिया को मनमाना, सन्की और अनुभवहीन बनाता है और इसलिए निष्पादन अयोग्य है। इससे अलावा, दया याचिका के निराकरण में अत्याधिक देरी से उत्पन्न ऐसे कारावास न्यायालय के द्वारा दी गई सजा से परे है और इस हद तक विधितर और अत्याधिक है।

^{1 (2014) 4} SCC 242

इसलिए सर्वोच्च संविधानिक प्राधिकारियों को संविधानिक मर्यादा से बाध्यकर होते हुए अनुच्छेद 72/161 के भीतर शक्तियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और उनके समक्ष दायर की गई दया याचिकाओं का निराकरण त्विरत तरीके से करना चाहिए।

18.

19. इससे पहले की हम उपरोक्त वर्णित तर्क का जवाब दे, यह प्रासंगिक है कि दया याचिका के निराकरण में विलंब के मामलों में जिस प्रारंभिक आधार पर अनुतोष दिया गया और यह कि ऐसा विलंब निष्पक्ष उचित और तार्किक प्रक्रिया की आवश्यकता का उल्लंघन करती है। इसके होते हुए भी और इसके द्वारा स्वतंत्र पीड़ा जो कारित होती है, विलंब मृत्युदण्ड के निष्पादन की प्रक्रिया को अनुचित, अविवेकी, मनमाना और मनमौजी बनाता है और जिसके चलते संविधान के अनुच्छेद—21 के अंतंगत प्रदत्त की गई सम्यक प्रक्रिया का उल्लंघन करती है और ऐसे मामले में अमानवीय प्रभाव माना जाता है। इस संदर्भ में पूर्व में इस न्यायालय ने दया याचिकाओं के निराकरण के लिए आवश्यक उचित समय के अतिरिक्त बन्दीकरण को भी मान्यता दी है और निष्पादन के लिए तैयारी, अनुच्छेद—21 के अंतर्गत दोषी को प्रदत्त, सम्यक प्रक्रिया का उपहास करती है जो प्रत्येक बंदी को उसकी आखिरी सांस तक अंतनिर्हित होती है।"

परिणामस्वरूप, न्यायालय नें मृत्युदण्ड की सजा को अजीवन कारावास में लघुत्तर किया।

- 6. अजय कुमार पाल विरुद्ध भारत संघ और अन्य² में यह न्यायालय एक प्रकरण से निपट रहा था, जहां दया याचिका के निपटारे में तीन वर्ष और दस महीने का विलंब था। इस प्रकरण में यह भी स्वीकृत था कि इस न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की पुष्टि के बाद याचिकाकर्ता को एकांत कारावास में रखा गया था। इस न्यायालय नें अभिनिर्धारित किया कि दया याचिका के निराकरण में अत्यधिक विलंब और ऐसी लंबी अवधि के लिए एकल कारावास के संयुक्त प्रभाव, याचिकाकर्ता कि पोषित स्वतंत्रता से वंचित करने का कारण बना और इसलिए मृत्युदण्ड की सजा को अजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया।
- 7. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है घटना दिनांक 19.08.2005 की रात के दरिमयान घटित हुई। विचारण न्यायालय ने विचारण तेजी से पूर्ण किया और 24.04.2006 को अपना फैसला सुना दिया। उच्च न्यायालय ने दो माह के भीतर दिनांक 27.06.2006 को सजा की पुष्टि कर दी, और इस न्यायालय ने दिनांक 18.09.2009 को अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने जेल प्राधिकारियों के माध्यम से दिनांक 13.10.2009 को भारत के राष्ट्रपित और

^{2 (2015) 2} SCC 478

मध्यप्रदेश के राज्यपाल को संबोधित करते हुए एक दया याचिका दायर की। इस आवेदन को मध्यप्रदेश के प्राधिकारियों ने चार साल से अधिक समय बाद दिनांक 15.10.2013 को गृह मंत्रालय को प्रेषित की। तदुपरांत गृह मंत्रालय ने दिनांक 20.11.2013 को मध्यप्रदेश शासन से कुछ अभिलेख मंगवाया। इन दस्तावेजों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12.12.2013 को प्रदान कर दिया। दिनांक 02.04.2014 को फाईल को भारत के राष्ट्रपति की ओर प्रेषित किया। इस फाईल को पुनर्विचार के लिए गृह मंत्रालय को वापस कर दिया। दिनांक 07.07.2014 को इसे भारत के राष्ट्रपति को दुबारा प्रस्तुत किया और अंततः इस दया याचिका को दिनांक 16.07.2014 को अस्वीकृत कर दिया गया था।

- 8. जहाँ तक भारत सरकार या भारत के राष्ट्रपति के सिववालय का संबंध है, दया याचिका को निपटाने में कोई देरी नहीं की गई और इसे तेजी से निपटाया गया। हालाँकि, मध्यप्रदेश शासन ने इस दया याचिका को अग्रेषित करने में 4 वर्ष से अधिक की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
- 9. हम यह देखने के लिए विवश है कि वह मध्यप्रदेश शासन की ओर से न केवल एक लंबा, अयोग्य और अस्पष्टीकृत विलंब था बिल्क मामले को बदत्तर बनाने के लिये मध्यप्रदेश शासन ने रिट याचिका में जवाबी शपथपत्र पेश करने की भी परवाह नहीं की जबिक 4 वर्ष पहले 18.11.2014 को सूचना जारी की गयी और सूचना की तामीली जारी होने के एक महीने के भीतर हो गई थी।
- 10. याचिका को अग्रेषित करने में देरी पूरी तरह से अस्पष्ट है और यह न्यायालय 4 वर्ष से अधिक अस्पष्टीकृत विलंब का समर्थन नहीं कर सकता। हम यहां एक ऐसे व्यक्ति के मामले से निपट रहे है जिसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। एक व्यक्ति जिसे मृत्युदंड मिला हो उसके लिये दया याचिका अंतिम उम्मीद है। हर सुबह एक नई उम्मीद को जन्म देगी कि उसकी दया याचिका स्वीकार की जा सकती है। रात होते ही यह उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दया याचिका के निराकरण में अयोग्य और अस्पष्टीकृत विलंब और फलस्वरूप अंत में मृत्यदंड के निष्पादन में वर्षो तक विलंब एक दूसरे प्रकार की सजा है जो न्यायालय ने पारित की है। इस न्यायालय ने कई बार यह अभिनिर्धारित किया कि उन मामलो का निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिये जहाँ मृत्युदंड का निष्पादन किया जाना है और यदि दया याचिका 4 वर्षो तक अग्रेषित न की गई हो और कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया गया हो तो हम अभिनिर्धारित करते है कि विलंब अयोग्य और अस्पष्टीकृत है।

- 11. हम न केवल दया याचिका के निराकरण में हुये विलंब के मुद्दे से निपट रहे है। याचिकाकर्ता अबतक लगभग 14 वर्षों तक सलाखों के पीछे रहा । यह भी एक कारण है जो विचार में लिया जाना चाहिये ।
- 12. मृत्युदंड एक अपवाद है और इसे विरलतम से विरले मामलो में दिया जाना चाहिये। मामले की समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुये, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दया याचिका को अग्रेषित करने में 4 वर्ष के अस्पस्टीकृत विलंब जिससे दया याचिका के निराकरण में लगभग 5 वर्षों का विलंब हुआ सम्मिलत है और यह तथ्य की याचिकाकर्ता लगभग 14 वर्षों तक कैद में रहा, हमारी यह राय है कि अपराध की कूर प्रकृति के होते हुये भी यह मामला मृत्युदंड निष्पादन करने के लिये उचित नहीं है और हम तद्नुसार मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते है। हालाँकि, अपराध की प्रकृति एवं यह तथ्य की 6 निर्दोष जीवन समाप्त हुए को ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते है कि इस मामले में आजीवन कारावास का मतलब याचिकाकर्ता का संपूर्ण शेष जीवन होगा और उसकी मृत्यु तक उसे रिहा नहीं किया जायेगा। पुर्निवलोकन याचिका के साथ रिट याचिका आंशिक रूप से उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है और तद्नुसार निराकरण किया जाता है। लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हो तो वह निराकृत है।

	न्यायमूर्ति
(एन वी रमना)	
	न्यायमूर्ति
(दीपक गुप्ता)	
	न्यायमूर्ति
(इंदिरा बनर्जी)	

नई दिल्ली 21 फरवरी 2019